

मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक/एफ 1-50/09/20-1
प्रति,

भोपाल, दिनांक 30/9/09

1. समस्त कलेक्टर,
2. समस्त आयुक्त, नगर निगम,
3. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत/जनपद पंचायत,
4. समस्त मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगर पालिका/नगर पंचायत,
5. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त आदिवासी विकास मध्यप्रदेश.

विषय :- शिक्षाकर्मियों/अध्यापक संवर्ग को सी.पी.एड./डी.पी.एड. प्रशिक्षण की सुविधा देने के संबंध में।

—0—

विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 1-10/2005/20-1 भोपाल, दिनांक 21.10.2005 द्वारा शिक्षाकर्मियों को सी.पी.एड./डी.पी.एड. प्रशिक्षण की सुविधा देने के संबंध में आदेश जारी किये गये हैं। प्रदेश में दिनांक 01.04.07 से शिक्षाकर्मियों के संविलियन एवं संविदा शाला शिक्षकों की नियुक्ति से अध्यापक संवर्ग का गठन किया गया है। राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि शिक्षाकर्मियों के संबंध में जारी किया गया यह आदेश अध्यापक संवर्ग के लिए यथावत लागू रहेगा।

अवर सचिव

म.प्र शासन

स्कूल शिक्षा विभाग

भोपाल, दिनांक 30/9/09

पृष्ठ क्रमांक/एफ 1-50/09/20-1
प्रतिलिपि:-

1. निज सहायक, मा. मंत्रीजी जी म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा, मंत्रालय भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, वित्त/पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग/नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग एवं प्रमुख सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय भोपाल।
3. आयुक्त, लोक शिक्षण/आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल।
4. आयुक्त, जनसंपर्क विभाग, भोपाल।
5. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश।

अवर सचिव

म.प्र शासन

स्कूल शिक्षा विभाग

626
7-10
B
8/10/09

क्रमांक/एफ 1-51/09/20-1
प्रति,

भोपाल दिनांक 30/9/09

1. समस्त कलेक्टर,
2. समस्त आयुक्त, नगर निगम,
3. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत/जनपद पंचायत,
4. समस्त मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगर पालिका/नगर पंचायत,
5. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त आदिवासी विकास मध्यप्रदेश.

विषय :- शिक्षाकर्मियों/अध्यापक संवर्ग को ऋण सुविधा देने के संबंध में।

—0—

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 2-11/2005/22/पं-2 भोपाल दिनांक 28.12.2005 तथा नगरीय प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक 4757/18-1/05 दिनांक 01.12.2005 द्वारा शिक्षाकर्मियों को ऋण सुविधा देने के संबंध में आदेश जारी किये गये हैं। प्रदेश में दिनांक 01.04.07 से शिक्षाकर्मियों के संविलियन एवं संविदा शाला शिक्षकों की नियुक्ति से अध्यापक संवर्ग का गठन किया गया है। राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि शिक्षाकर्मियों के संबंध में जारी किया गया यह आदेश अध्यापक संवर्ग के लिए यथावत लागू रहेगा।



अवर सचिव

म.प्र शासन

स्कूल शिक्षा विभाग

भोपाल, दिनांक

30/9/09

पृष्ठां क्रमांक/एफ 1-51/09/20-1

प्रतिलिपि:-

1. निज सहायक, मा. मंत्रीजी जी म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा, मंत्रालय भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, वित्त/पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग/नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग एवं प्रमुख सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय भोपाल।
3. आयुक्त, लोक शिक्षण/आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल।
4. आयुक्त, जनसंपर्क विभाग, भोपाल।
5. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश।



अवर सचिव

म.प्र शासन

स्कूल शिक्षा विभाग

C
8/10/09
627
7-10

मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक / एफ 1-52/09/20-1
प्रति,

भोपाल दिनांक 30/9/09

1. समस्त कलेक्टर,
2. समस्त आयुक्त, नगर निगम,
3. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत/जनपद पंचायत,
4. समस्त मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगर पालिका/नगर पंचायत,
5. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त आदिवासी विकास मध्यप्रदेश.

विषय :- शिक्षकर्मियों/अध्यापक संवर्ग को यात्रा भत्ता दिये जाने के संबंध में।

—0—

विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 1-10/2005/20-1 भोपाल, दिनांक 21.10.2005 शिक्षकर्मियों को यात्रा भत्ता दिये जाने के संबंध में आदेश जारी किये गये हैं। प्रदेश में दिनांक 01.04.2007 से शिक्षकर्मियों के संविलियन एवं संविदा शाला शिक्षकों की नियुक्ति से अध्यापक संवर्ग का गठन किया गया है। राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि शिक्षकर्मियों के संबंध में जारी किया गया यह आदेश अध्यापक संवर्ग के लिए यथावत लागू रहेगा।



अवर सचिव

म.प्र. शासन


स्कूल शिक्षा विभाग

भोपाल, दिनांक

30/9/09

पृष्ठां क्रमांक / एफ 1-52/09/20-1
प्रतिलिपि:-

1. निज सहायक, मा. मंत्रीजी जी म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा, मंत्रालय भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, वित्त/पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग/नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग एवं प्रमुख सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय भोपाल।
3. आयुक्त, लोक शिक्षण/आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल।
4. आयुक्त, जनसंपर्क विभाग, भोपाल।
5. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश।



अवर सचिव

म.प्र. शासन

स्कूल शिक्षा विभाग

628
7-10

8/10/09

मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30-9-06


क्रमांक/एफ 1-53/09/20-1
प्रति,

1. समस्त कलेक्टर,
2. समस्त आयुक्त, नगर निगम,
3. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत/जनपद पंचायत,
4. समस्त मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगर पालिका/नगर पंचायत,
5. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त आदिवासी विकास मध्यप्रदेश.

विषय :- शिक्षकर्मियों/अध्यापक संवर्ग को क्रमोन्नति का लाभ देने के संबंध में।

—0—

विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 1-10/2005/20-1 भोपाल, दिनांक 30.06.2006 द्वारा शिक्षाकर्मियों को क्रमोन्नति का लाभ देने के संबंध में आदेश जारी किये गये हैं। प्रदेश में दिनांक 01.04.07 से शिक्षाकर्मियों के संविलियन एवं संविदा शाला शिक्षकों की नियुक्ति से अध्यापक संवर्ग का गठन किया गया है। अध्यापक संवर्ग को क्रमोन्नति का लाभ देने के संबंध में दिये जाने वाले वेतनमानों का निर्धारण कर वित्त विभाग से सहमति प्राप्त करने के उपरांत इस संबंध में आदेश जारी किये जायेंगे।


30-9-06

अवर सचिव
म.प्र. शासन

स्कूल शिक्षा विभाग
भोपाल, दिनांक


30-9-06

पृष्ठां क्रमांक/एफ 1-53/09/20-1
प्रतिलिपि:-

1. निज सहायक, मा. मंत्रीजी जी म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा, मंत्रालय भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, वित्त/पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग/नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग एवं प्रमुख सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय भोपाल।
3. आयुक्त, लोक शिक्षण/आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल।
4. आयुक्त, जनसंपर्क विभाग, भोपाल।
5. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश।

629
7/10

C
8/10/09


30-9-06

अवर सचिव
म.प्र. शासन

स्कूल शिक्षा विभाग

मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक/एफ 1-49/09/201
प्रति,

भोपाल, दिनांक 30/9/09

1. समस्त कलेक्टर,
2. समस्त आयुक्त, नगर निगम,
3. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत/जनपद पंचायत,
4. समस्त मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगर पालिका/नगर पंचायत,
5. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त आदिवासी विकास मध्यप्रदेश.

विषय :- शिक्षकर्मियों/अध्यापक संवर्ग को चिकित्सा बीमा की सुविधा के संबंध में।

—0—

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 2-11/2005/22/पं-2 भोपाल, दिनांक 28.12.2005 तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के परिपत्र क्रमांक 4779/2005/18-1 भोपाल दिनांक 02.12.2005 द्वारा शिक्षकर्मियों को चिकित्सा बीमा की सुविधा के संबंध में आदेश जारी किये गये हैं। प्रदेश में दिनांक 01.04.07 से शिक्षकर्मियों के संविलियन एवं संविदा शाला शिक्षकों की नियुक्ति से अध्यापक संवर्ग का गठन किया गया है। राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि शिक्षकर्मियों के संबंध में जारी किया गया आदेश अध्यापक संवर्ग के लिए यथावत लागू रहेगा।

अवर सचिव
म.प्र. शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
भोपाल, दिनांक

30/9/09

पृष्ठ क्रमांक/एफ 1-49/09/201
प्रतिलिपि:-

1. निज सहायक, मा. मंत्रीजी जी म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा, मंत्रालय भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, वित्त/पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग/नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग एवं प्रमुख सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय भोपाल।
3. आयुक्त, लोक शिक्षण/आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल।
4. आयुक्त, जनसंपर्क विभाग, भोपाल।
5. समस्त सभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश।

अवर सचिव
म.प्र. शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
भंत्रालय, भोपाल

क्रमांक / एफ 1-45/09/20-1
प्रति,

भोपाल, दिनांक 18/9/09

1. समस्त कलेक्टर,
2. समस्त आयुक्त, नगर निगम,
3. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत / जनपद पंचायत,
4. समस्त मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगर पालिका / नगर पंचायत,
5. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी / सहायक आयुक्त आदिवासी विकास मध्यप्रदेश.

विषय:- संविदा शाला शिक्षकों के नियोजन में काउंसिलिंग के समय जमा किये गये मूल प्रमाण पत्रों के संबंध में।

संदर्भ :- विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ 1-37 / 2008 / 20-1 भोपाल, दिनांक 09.07.2008

---0---

विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 1-37 / 2008 / 20-1 भोपाल, दिनांक 09.07.08 के द्वारा संविदा शाला शिक्षकों के नियोजन में निर्देश है कि प्रवीणता के अवरोही क्रम में नियोजन को कार्यवाही परामर्श (Counseling) के द्वारा जायेगी। प्रदेश के सभी जिलों में जिला स्तर पर जिला कलेक्टर के समन्वय में जिले की सहायक निदेशिका की एकिकृत कार्यालयों की जावेगी। काउंसिलिंग के समय उपस्थित अभ्यर्थी से पाठ्य परीक्षा 2008 के प्रमाण-पत्र सह अंकसूची, वैशेषिक योग्यता तथा शिक्षण प्रशिक्षण योग्यता की अंकसूची की मूल प्रति जमा करायी जायेगी जिसे नियुक्तिकर्ता अधिकारी द्वारा पूर्ण परीक्षण/सत्यापन के उपरान्त 60 दिवस के भीतर आवेदक को वापस की जाएगी। परामर्श (Counseling) उपरान्त नियुक्तिकर्ता अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को नौका स्थल पर ही संविदा शाला शिक्षक के नियुक्ति आदेश प्रदान किए जाएंगे।

आईडियाज फॉर सीएम के माध्यम से प्राप्त सुझाव के अनुक्रम में यह निर्णय लिया गया है कि काउंसिलिंग के समय प्रस्तुत किये गये मूल प्रमाण पत्रों की सत्यता की जांच के उपरान्त अभ्यर्थियों को मूल प्रमाण पत्र उसी समय वापस कर दिए जाएं, इन निर्देशों का पालन करने का कष्ट करें।

शिक्षा
3/10/09


631
9-10
8/10/09

(एस.एन. शर्मा)
उप सचिव
म.प्र शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

17/9/09

पृष्ठा क्रमांक / हफ 1-45/09/20-1
प्रतिलिपि:-

1. सचिव, मान. मुख्यमंत्री जी म.प्र. शासन, मंत्रालय भोपाल।
2. निज सहायक, मा. मंत्रीजी जी म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा, मंत्रालय भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग / नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग एवं प्रमुख सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय भोपाल।
4. आयुक्त, लोक शिक्षण / आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल।
5. आयुक्त, जनसंपर्क विभाग, भोपाल।
6. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश।


उप सचिव
म.प्र. शासन
स्कूल शिक्षा विभाग